उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–1
संख्या : 136 /9.1.13–61सा/10
लखनऊ : दिनांक 30 जनवरी, 2013

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन् 1959) की धारा–87 और धारा 540 और उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2, सन् 1916) की धारा 296 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के साथ पठित उपधारा (1) और धारा 300 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सन् 1916 के उक्त अधिनियम की धारा 300 की उपधारा (2) और सन् 1959 के उक्त अधिनियम की धारा 540 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना सं0 1435/9.1.2011–61सा0/10, दिनांक 14 मार्च, 2012 में प्रकाशित आदेश के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात् उत्तर प्रदेश नगरपालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश नगरपालिका (सदस्यों, पार्षदों ,अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगरपालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 63 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश नगरपालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये नियम 63 के स्थान पर, स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ – एक विद्यमान नियम	स्तम्भ –दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
63. राज्य निर्वाचन आयोग या किसी सक्षम न्यायालय या किसी अधिकरण द्वारा किये गये किन्हीं प्रतिकूल निदेशों के अध्यधीन निर्वाचन का परिणाम घोषित होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के पश्चात् नगर पालिका के निर्वाचन से संबधित समस्त पत्राजातों को नष्ट कर दिया जायेगा। निर्वाचन से संबधित विवरणी को अगले सामान्य निर्वाचनों के पूरा होने तक प्रतिधारित रखा जायेगा और तत्पश्चात् उसे किसी सक्षम अधिकारी या आयोग द्वारा दिए गए किन्हीं प्रतिकूल निदेशों के अध्यधीन नष्ट कर दिया जायेगा।	63–(1) राज्य निर्वाचन आयोग या किसी सक्षम न्यायालय या किसी अधिकरण द्वारा दिये गये किन्हीं प्रतिकूल निदेशों के अध्यधीन निर्वाचन का परिणाम घोषित होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के पश्चात् नगरपालिका के निर्वाचन से संबधित समस्त पत्रजातों को नष्ट कर दिया जायेगा। निर्वाचन से संबधित विवरणी को अगले सामान्य निर्वाचनों के पूरा होने तक प्रतिधारित रखा जायेगा और तत्पश्चात् उसे किसी सक्षम अधिकारी या आयोग द्वारा दिए गए किन्हीं प्रतिकूल निदेशों के अध्यधीन नष्ट कर दिया जायेगा। (2) सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गयी इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनें ऐसी कालावधि के लिए अखंड रूप से प्रतिधारित रखी जाएगी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करें और उनका किसी पश्चात्वर्ती निर्वाचन में राज्य निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रयोग नहीं किया जाएगा।

आज्ञा से,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि **संयुक्त निदेशक, प्रभारी राजकीय मुद्राणलय, ऐशबाग लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित इस अधिसूचना को दिनांक 30 मार्च, 2013 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कर उसकी 100–100 प्रतियां शासन एवं संयुक्त आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, 32 स्टेशन रोड़, लखनऊ को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(विष्णु स्वरूप मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. संयुक्त आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय/पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ।
3. बेब मास्टर, नगर विकास विभाग उ0प्र0शासन को उक्त अधिसूचनाओं की प्रतियां संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विष्णु स्वरूप मिश्र)
विशेष सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Nagar Vikas Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause [3] of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 136 /9-1-13-61SA /10, dated 30 January, 2013 .

Notification

No. 136 **/9-1-13-61SA / 10**
Lucknow: Dated 30 *January , 2013*

In exercise of the powers under section 87 and section 540 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P. Act no. II of 1959) and sub-section(1) read with clause (a) of sub-section (2) of section 296 and section 300 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P.Act no. II of 1916), the Governor, after considering the objections and suggestions received in pursuance of the order published in Government notification no. 1435 /9-1-2011-61SA/2010, dated March 14, 2012 as required under sub-section [2] of section -300 of the said Act of 1916 and sub-section (2) of section 540 of the said Act of 1959 is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Municipalities (Election of Members, Corporators, Chairmen and Mayors) Rules, 2010 :-

THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES (ELECTION OF MEMBERS, CORPORATORS, CHAIRMEN AND MAYORS) (FIRST AMENDMENT) RULES, 2013

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Municipalities (Election of Members, Corporators, Chairmen and Mayors) (First Amendment) Rules, 2013

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of rule 63

2. In the Uttar Pradesh Municipalities (Election of Members,Corporataros, Chairmen and Mayors) Rules, 2010 , for rule-63 set out in Column-I below , the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

Column – I **Existing rule**	**Column-II** **Rule as hereby substituted**
63. All papers relating to the election of Municipality shall be destroyed after a period of one year from the date of declaration of the result of election, subject to any directions to the contrary given by the State Election Commission or a competent Court or a Tribunal. The elections returns shall be retained till the completion of the next general election and shall thereafter be destroyed subject of any directions to the contrary given by a competent authority or commission.	(63)- (1) All papers relating to the election of Municipality shall be destroyed after a period of one year from the date of declaration of the result of election, subject to any directions to the contrary given by the State Election Commission or a competent Court or a Tribunal. The election returns shall be retained till the completion of the next general election and shall thereafter be destroyed subject to any directions to the contrary given by a competent authority or the Commission. (2) The electronic voting machines kept in the custody, shall be retained intact for such period as the State Election Commission may direct and shall not be used at any subsequent election without the previous approval of the State Election Commission.

By Order

(PRAVIR KUMAR)
Pramukh Sachiv.